

अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य निर्धारण नीति का परीक्षण करें ?

अलाउद्दीन खिलजी वंश का महानतम शासक था जिसका 20 वर्षों का शासनकाल महत्वपूर्ण उपलब्धियों का साक्ष्य था। अलाउद्दीन का व्यवहार का नाम अली तथा गुरशारूप था। वह दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे महान था। उनका 20 वर्षों का शासनकाल महत्वपूर्ण उपलब्धियों का साक्ष्य था। अपने वास्तव की रूढ़ नया रूप प्रदान किया महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधार लागू किए लगान प्रशासन और व्यापार वाणिज्य में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया तथा सल्तनत को एक विशाल साम्राज्य का रूप प्रदान किया। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह चाहता था कि ऐसा कार्य करे जिससे उनका नाम विश्व इतिहास में अमर हो जाए।

अलाउद्दीन की विचारों में सबसे अधिक महत्व उसकी मूल्य निर्धारण योजना अथवा बाजार नियंत्रण की नीति का है। ड० एम० लाल ने कहा की यह योजना कम खर्च पर विशाल सेना के खर्च के लिए लागू की गई जब यह अनिवार्य हो गया कि उस निर्धारित वेतन में ही सैनिकों को सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं अन्यथा उनमें असंतोष फैलता। अतः कहा गया की बाजार नियंत्रण की योजना इसलिए लागू की गई।

लेकिन समझना, एबीए के इस विचार से समझना नहीं है। इनके अनुसार अलाउद्दीन ने योजना मात्र सैनिकों के लिए नहीं बल्कि सारी प्रजा के लिए लागू की। उसने साम्प्रदायिक लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मूल्यों को भी निर्धारित किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाजार-नियंत्रण और वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित करने में अलाउद्दीन का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक था। एक बड़ी सेना रखना अपने सैनिकों को एक निश्चित और न कट वेतन देना उनको जीवन की सुविधाएं उपलब्ध कराना और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाने से रोकना उनका मुख्य उद्देश्य था तथा बाजार-नियंत्रण इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक साधन।

सभी प्रकार के अनाज, दालें, कपड़ा, सुलाम अथवा धोत्रे बड़ी नहीं वरन् खिलजी सेवा, मांस, मछली

जहाँ हुई जाणा हुआ आदि जैसी वैदिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य भी निर्धारित किए जाते। बाले के लिए मण्डी रुपये के लिए शराब - खाना आदि। वैदिक जीवन के उपभोग की अन्य वस्तुओं के लिए कुछ पृथक् बाजार विकसित किया गया।

11. मठिनारी के भवनों पर सुरक्षा के लिए सरकारी गोदामों में सभी आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करने की व्यवस्था की गयी थी और ऐसी परिस्थितियों के प्रतिक्रमण के लिए आवश्यक वस्तुओं के स्फुरित की सही विकल्प की गयी थी।

योजना कार्यान्वित करने के लिए अलाउद्दीन ने एक नए विभाग का गठन किया जिसे दीवाने-रिमासत नाम दिया गया। यह वाणिज्य विभाग था तथा इसका प्रधान सदे-रिमासत कहा जाता था। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षण को नियुक्त किया गया। इन्हें शहना उहने थे जो योजना लागू करने के लिए उत्तरदायी थे। गुप्तचर अथवा बरीद को भी नियुक्त किया गया बाजार की जानिबिधियों को देखने के लिए। इन्हें अतिरिक्त अलाउद्दीन स्वयं भी अपने हाथों और अन्य व्यक्तियों द्वारा समय-2 पर बाजार से सामान माँगा माँगा कर अपनी सुनिश्चित करता था। वस्तुओं केवल निश्चित मूल्य पर बेची जा सकती थी। यहाँ तक कि कोई से बड़ा पदाधिकारी भी सुल्तान की आज्ञा के बिना मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। कुम लेने वाले के शरीर से अनी ही मात्रा में मांस का काम लिया जाता था।

अधी भी व्यक्ति (व्यापारी या किसान) किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं कर सकता था। सट्टेबाजी और न्योरबाजारी पूर्णतया समाप्त कर दी गयी थी। भादेशों के उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। सट्टेबाजी और न्योरबाजारी पूर्णतया समाप्त कर दी गयी थी।

वरनी के अनुसार अलाउद्दीन ने निम्नलिखित बाजार स्थापित किए।

मण्डी - जहाँ अनाज का व्यापार होता था।

शराब अदल - जहाँ वस्त्र का व्यापार होता था।

हास, घोड़ों और मवेशियों एवं अन्य वस्तुओं के लिए

सामान्य बाजार।

उसने विभिन्न वस्तुओं के

लिए मूल्य निर्धारित कर दिए। औद्योगिक 7 1/2 जीतल प्रति मन चावल 5 जीतल प्रति मन जो 4 जीतल प्रति मन न्यून 5 जीतल प्रति मन आदि मूल्य निर्धारित हुए। कपड़े में रेशमी वस्त्र सोलह हजार से लेकर दो हजार के बीच बिकते थे जबकि सूती कपड़े 36 जीतल से 6 जीतल के बीच बिकते थे। ऊतम श्रेणी के घोड़े 100 से 120 टका एवं सामूली टर् 10 से 25 टका में बिकते थे। वास्तव में मूल्य 5 से 40 टका के बीच था।

मंडी में अनाज की आपूर्ति के लिए अलाउद्दीन ने अनाज की वसूली अनाज के रूप में करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त उसने किसान से निजी आवश्यकता से अधिक अनाज निर्धारित मूल्य पर खरीदने का आदेश दिया। अलाउद्दीन की यह व्यवस्था केवल दिल्ली तक ही सीमित थी। अखिल भारत में इतिहासकार इसी मत से स्वीकार करते हैं।

वस्त्र बाजार में विदेशों से आयात किए गए रेशमी कपड़ों का मूल्य निर्धारित करना उठिन था। अतः अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारियों को राज्य द्वारा प्रेषित अनाज का भाड़ा के व्यापारियों से उपलब्ध मूल्य पर कपड़े खरीदें और उसे बाजार में लाकर निर्धारित मूल्य पर बेचें।